प्रारंभिक तौर पर लोहा, इस्पात, तिलहन एवं खाद्य तेल, पान मसाला तथा चाय पर लागू की जाना प्रस्तावित है।

5. पंजीयन व्यवस्था को और सुगम बनाने के लिये पासवर्ड तथा पंजीयन क्रमांक को व्यवसाई को ईलेक्ट्रोनिकली भी सूचित किया जाना तथा पंजीयन प्रमाण–पत्र को डाउनलोडेबल बनाये जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में लगभग 98 प्रतिशत से अधिक ई–पंजीयन जारी किये जाते हैं, इस हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। मैन्युअल पंजीयन प्राप्त करने पर रूपये 1,000 शुल्क निर्धारित है। ई–पंजीयन की लोकप्रियता को देखते हुये मैन्युअल पंजीयन जारी करने की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त की जा रही है। वर्तमान में वेट अधिनियम के अंतर्गत एक ही कार्य दिवस में पंजीयन जारी करने का प्रावधान है। वृत्तिकर अधिनियम एवं मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम में भी पंजीयन जारी करने हेतु एक कार्य दिवस की सीमा निर्धारित की जा रही है। इसके अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा प्रशासित समस्त विधानों के तहत पंजीयत व्यवसाईयों के लिये यूनिक आई.डी. (पंजीयन क्रमांक) की व्यवस्था की जा रही है।

6. समस्त पंजीयत व्यवसाईयों की डीलर प्रोफाईल बनाई जायेगी जिससे व्यवसाई स्वयं उनके द्वारा उपयोग में लाये गये विभिन्न फार्म की जानकारी, किये गये भुगतान एवं सूचना पत्र, कर निर्धारण आदेश इत्यादि की जानकारी को देख सकेगा, जो स्वतः प्रोफाईल में अपलोड हो जायेगी। यह व्यवस्था ई–मेल से भी भेजी जाने वाली व्यवस्था के अतिरिक्त होगी।

7. वर्तमान में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने हेतु टर्नओवर की सीमा 20 लाख रूपये है, जिसे बढ़ाकर 40 लाख रूपये किया जा रहा है, इससे छोटे व्यवसाईयों को सुविधा होगी और वे वर्ष मे 4 विवरण पत्र के स्थान पर एक ही विवरण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

8. कर विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (निरसित), मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (निरसित), मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 एवं मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 के वर्ष 2011–12 तक के लंबित कर बकाया राशि के मामलों में समाधान हेतु कर समाधान योजना लायी जाना प्रस्तावित है।

Citizen Charter - http://www.mptax.mp.gov.in/

Path : Home >> Departmental Information >> Citizen Charter

Department of Commercial Tax
Government of Madhya Pradesh
(VAT, CST, ET, PT, LEAT)

वाणिज्यिक कर विभाग
मध्य प्रदेश शासन
(वैट, सीएसटी, ईटी, पीटी, एलईएटी)

Go to New Version | A-Z A A A

Site Search

General | Acts | Citizen Charter | Statistics | Current News | Tenders/Offers

E-SERVICES
- Registration
- Amendment
- Transfer in Business Place
- Returns
- Payment
- Declaration Form
- Submit date/time of entry in MP
- Generate Form 49 with keys
- Challan Generation New
- How to use e-Services effectively
- Form 50 New
- Form 59 Transhipment

TRACK APPLICATION
- Track Application

USEFUL LINKS
- VAT Related Sites

GENERAL
- FAQ
- FeedBack
- Query/Feedback

DOWNLOADS
- Download Templates
- User Manual
- Form 59 Format
- VAT Audit Report New

HELPDESK NUMBER
- For website related queries,please call on this number during working hours between (10:30AM to 5:30PM) and email id for helpdesk is- helpdesk.mpct@mptax.mp.gov.in
- 0731-2434005
- 9425912502(SMS Only)
- 18002330440(Toll Free No)

You are here: Home >>Citizen Charter

सीटीजन चार्टर

क्र.	कार्य / गतिविधि / योजना का नाम	प्रभारी / विहित अधिकारी	निपटारे की समय सीमा	निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जाना है उसका पदनाम	शिकायत निराकण हेतु समय सीमा
१	स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना	वाणिज्यिक कर अधिकारी	१ दिन	संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	१५ दिन
२	पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	३० दिन	संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	१५ दिन
३	कर समाशोधन प्रमाण पत्र जारी कीया जाना	वाणिज्यिक कर अधिकारी	३० दिन	संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	१५ दिन
४	घोषना पत्र फार्म सी तथा फार्म एफ जारी कीया जाना	वाणिज्यिक कर अधिकारी	२ दिन	संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	१५ दिन
५	प्रमाणित प्रतिलिपियों का प्रदाय:	वाणिज्यिक कर अधिकारी		संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	१५ दिन
	(अ) समान्य आवेदन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	४ दिन	संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	१५ दिन
	(ब) तुरंत (अरजन्ट)	वाणिज्यिक कर अधिकारी	२ दिन	संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	१५ दिन
६	वापसी आदेश जारी	वाणिज्यिक कर अधिकारी / सहायक आयुक्त	६० दिन (कर निर्धारण आदेश के बाद)	संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	१५ दिन

टीप:- यदि शिकायत प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में शिकायत का निराकरण नहीं कीया जाता है तो ऐसी स्थिति में विभाग के आयुक्त को आवेदन दिया जा सकता है । अथवा आवेदक मुख्यालय को सीधे ई-मेल commissioner.ho@mptax.mp.gov.in पर अपनी शिकायत कर सकेगा ।

Back